संख्याः 445 / xxiv–B-5 / 2021–03(01) / 2020

प्रेषक,

जे0एल0 शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

3—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

4—सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

5— अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
कुमांऊ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

6—समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—5 देहरादूनः दिनांकः 03 **जुलाई, 2021**

विषयः— उत्तराखण्ड हाईस्कूल (कक्षा—10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा—12) की परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्धारण हेतु मापदण्ड / दिशा—निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 226 / XXIV–B–5 / 2020–3(1)2020 दिनांक 25 अप्रैल, 2021, जिसके द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 10 एवं शासनादेश संख्या 401 / XXIV–B–5 / 2021–03(01)2020दिनांक 11 जून, 2021, जिसके द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा रद्द / निरस्त की गई है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस कम में परीक्षाफल निर्माण के मापदण्ड निर्धारण हेतु शासनादेश दिनांक 11 जून, 2021 द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा हाईस्कूल(कक्षा—10) एवं इण्टरमीडिएट(कक्षा—12) के परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्धारण हेतु मापदण्ड निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराई गई।

समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति / आख्या का शासन स्तर पर परीक्षण करते हुये सम्यक विचारोपरान्त परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्धारण हेतु मापदण्ड / दिशा—निर्देश निर्धारित किये गये है, जो परिशिष्ट में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहा है।

कमांक...2 पर

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित मापदण्ड/दिशा–निर्देशानुसार परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्धारण हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तद्नुसार परीक्षाफल घोषित करेंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 445(1)/ XXiv–B-5/2021–03(01)/2020 तद्दिनांक।

प्रतितिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. मंडलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड की हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2021 के मूल्यांकन एवं परीक्षाफल निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

(अ) हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा 2021 : परीक्षाफल निर्धारण प्रक्रिया

1. हाईस्कूल (कक्षा 10) परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल का निर्धारण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा।

   i. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की नीति के अनुसार ही विगत वर्षों की भांति हाईस्कूल (कक्षा 10) के छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का होगा अर्थात परीक्षाफल 500 अंकों के आधार पर घोषित किया जायेगा।

   ii. भाषा सहित जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंक की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) 100 अंकों में से किया जायेगा।

   iii. जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों को 100 में से घटाकर अवशेष पूर्णांक में से किया जायेगा। आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक यथावत् रहेंगे।

   iv. छात्रों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) उनके विगत वर्षों के कक्षा 09 की परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं कक्षा 10 के वर्ष भर में विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार (Weightage) के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु 2021 की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा में पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को निम्नवत अंक प्रदान करते हुये उनका परीक्षाफल तैयार किया जायेगा–

      a. 75 प्रतिशत अधिभार (Weightage) कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दिया जायेगा अर्थात संबंधित छात्र/छात्रा को अंक उसके द्वारा अपनी कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जायेगा।

      उदाहरणार्थ : यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा अपनी कक्षा 09 की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किये गये है तो उसे संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार 75 प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करते हुये तदनुसार संबंधित विषय में छात्र/छात्रा को अंक प्रदान

A-Diwakr

किये जायेंगे। प्रत्येक विषय के लिये अंकों की गणना छात्र–छात्रा द्वारा संबंधित विषय की कक्षा 09 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी।

यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो और उसे कक्षोन्नति कक्षा 09 में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रदान की गयी हो तो उसे उसके द्वारा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उक्तवत अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक 75 प्रतिशत अधिभार में परिवर्तित करने पर अवशेष 0.1 या उससे अधिक की गणना अगले निकटतम पूर्णांक में की जायेगी।

b. 25 प्रतिशत अधिभार (Weightage) कक्षा 10 को प्रदान किया जायेगा। इस हेतु विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस अधिभार के निर्धारण हेतु निम्न मापदण्डों में से किसी भी मापदण्ड को आधार बनाया जा सकता है –

- इस वर्ष की कक्षा 10 में आयोजित की गयी मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड (जिस किसी परीक्षा में भी छात्र/छात्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा हो) परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जा सकता है।

अथवा

- इस वर्ष की कक्षा 10 में कक्षा शिक्षण के दौरान संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा किये गये आंकलन/मूल्यांकन कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन को आधार बनाया जा सकता है।

उक्त प्रक्रिया में मापदण्ड चयन में छात्र के अधिकतम हित को ध्यान में रखा जायेगा। छात्र/छात्रा के द्वारा उक्तवत प्रक्रिया में प्राप्त अंको को संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार 25 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक 25 प्रतिशत अधिभार में परिवर्तित करने पर अवशेष 0.1 या उससे अधिक की गणना अगले निकटतम पूर्णांक में की जायेगी। इस प्रक्रिया/मापदण्ड से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे, ताकि यह अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सके।

v. उक्तानुसार हाईस्कूल परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्माण हेतु सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा का विषयवार **अधिभार (Weightage)** निम्नवत होगा–

क्र0 सं0	विषय विवरण	अधिकतम अंक	अधिभार (Weightage) - % व (अंक)	
			कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा	कक्षा 10 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य
1	जिन विषयों में 100 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)

A.Diwakar

2	जिन विषयों में 80 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)
3	जिन विषयों में 60 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	60	75 % (45 अंक)	25 % (15 अंक)
4	जिन विषयों में 40 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	40	75 % (30 अंक)	25 % (10 अंक)
5	जिन विषयों में 30 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	30	75 % (22 अंक)	25 % (08 अंक)
6	जिन विषयों में 25 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	25	75 % (19 अंक)	25 % (06 अंक)

हाईस्कूल (कक्षा–10) में विषयवार अधिभार (weightage) का विवरण संलग्नक–01 पर अंकित है।

2. व्यक्तिगत छात्रों के संबंध में भी उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। कक्षा 10 की परीक्षा हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार अंक प्रदान करने हेतु संबंधित विषय हेतु विद्यालय के विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित अधिभार के आधार पर निर्धारित अंकों की ऑन/ऑफ लाइन मौखिक परीक्षा आयोजित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

3. हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा में जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है उनमें आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षाएं माह मार्च–अप्रैल 2021 में संपादित की जा चुकी हैं। आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा की सूचना गत वर्षों की भांति परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0/सी0सी0–16 पर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी छात्र/छात्रा का आंतरिक/प्रयोगात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया हो तो उसके लिये उक्त अवधि में ऑन/ऑफ लाइन परीक्षा, लिखित/मौखिक रूप से सम्पादित किये जाने की अनुमति होगी। इस प्रकार की परीक्षा की स्थिति में परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

4. छात्रों के सही, विश्वसनीय व वैध आंकलन/मूल्यांकन करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। विद्यालय का परीक्षा प्रभारी इस समिति का पदेन सचिव होगा। समस्त विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नामित किया जायेगा। इस परीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये वर्ष 2021 की हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा मे पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को अंक प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विद्यालय

A. Diwakar

स्तर पर एक पंजिका बनायी जायेगी, जिसमें समिति द्वारा इस संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं छात्र–छात्राओं को प्रदत्त अंकों की सुस्पष्ट अंकना की जायेगी।

i. प्रत्येक विद्यालय में, जहां से छात्र इस परीक्षा हेतु पंजीकृत हुये हों, निम्नवत एक परीक्षा मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी–

1.	प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य	पदेन अध्यक्ष
2	समस्त विषयाध्यापक	सदस्य
3.	विद्यालय का परीक्षा प्रभारी	सदस्य सचिव
4.	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष / वरिष्ठ शिक्षक	पर्यवेक्षक

इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय के निकटतम स्थित राजकीय अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ट शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पारस्परिक रूप में एक–दूसरे विद्यालय में तैनाती नहीं की जायेगी अर्थात जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय में पर्यवेक्षक की तैनाती से भिन्न विद्यालय से ही पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी।

ii. विद्यालय स्तर पर छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन एवं वास्तविक आकलन / मूल्यांकन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्तवत गठित समिति का होगा। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी ताकि आंकलन / मूल्यांकन की वैधता एवं सार्थकता बनी रहे। समिति इस सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाही एव अभिलेखो को तैयार करते हुये उन्हें सुरक्षित भी रखेगी।

iii. विद्यालय स्तरीय समिति सुनिश्चित करेगी कि विषयाध्यापक पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का सम्पादन करे, अध्यापक द्वारा किसी भी छात्र–छात्रा के साथ किसी भी प्रकार भेदभाव न किया जाय। प्रत्येक छात्र–छात्रा की वास्तविक क्षमताओं के अनुसार सही, विश्वसनीय एवं सार्थक आकलन / मूल्यांकन किया जाय। विषयाध्यापक द्वारा छात्रों का आकलन / मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि कक्षा मे छात्रों की क्षमता के आधार पर उनकी पारस्परिक भिन्नता भी स्पष्ट रूप से परीक्षाफल में परिलक्षित हो अर्थात सामान्य, औसत एवं श्रेष्ठ छात्रो मे अंतर स्पष्ट हो। समिति सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में अपनाये जाने वाली प्रणाली / प्रक्रिया सभी छात्रो के लिए एक समान रहे, इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार के संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो।

iv. विद्यालय स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में अंकों की सुस्पष्ट अंकना दो प्रतियों में तैयार कर प्रपत्र की एक प्रति अपने विद्यालय की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) के केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगे। प्रपत्र की दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

v. समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को सही प्रकार से पूरित कर उपलब्ध करायेगी।

M. Diwaker

vi. परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय द्वारा की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित/ओं के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

vii. इस परीक्षा एव प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक अनिवार्यतः विद्यालय मे सुरक्षित रखे जायेंगे। परिषद द्वारा मांगे जाने अथवा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मागे जाने पर अभिलेख उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा।

viii. इसके साथ ही हाईस्कूल (कक्षा 10) मे जिन विषयो में आंतरिक मूल्यांकन/ प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है उसकी सूचना गत वर्षों की भांति परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 पर अंकित कर सीलबंद लिफाफे मे परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा 2021 हेतु जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप मे अधिसूचित किये गये थे वे समस्त परीक्षा केन्द्र उन समस्त विद्यालयों के लिये मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे जिनके वे परीक्षा केन्द्र थे। विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) के आधार पर केन्द्र मे परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0/सी0सी0 16) पर संबंधित छात्र–छात्राओं के प्राप्तांको की अंकना सावधानीपूर्वक की जायेगी

i. उक्त कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप मे माना जायेगा) पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की अध्यक्षता मे एक समिति का निम्नवत गठन किया जायेगा–

1. संबंधित केन्द्र का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	पदेन उप नियंत्रक
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष/वरिष्ठ शिक्षक	पर्यवेक्षक/ सह नियंत्रक
3. विद्यालय का परीक्षा प्रभारी	सदस्य सचिव

इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में निकटतम स्थित राजकीय अथवा सहित मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय के छात्रो का यह विद्यालय परीक्षा केन्द्र न रहा हो। परीक्षा केन्द्र स्तरीय समिति में ऐसे किसी भी प्रधानाचार्य/शिक्षक को नामित न किया जाय, जिनके पाल्य उस परीक्षा केन्द्र/विद्यालय में अध्ययनरत हो।

ii. यह समिति विद्यालयों से प्राप्त प्राप्तांकों एव प्रपत्रो के विवरण का अवलोकन एव परीक्षण करेगी। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर सम्बन्धित विद्यालय स्तर से इसका निराकरण करवाने के उपरांत अंकों की अंकना ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 मे करवायेगी। समिति परिषद द्वारा प्रदत्त

निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को भी पूरित करेगी।

iii. विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 पर अंकना करने हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने विद्यालय से इस प्रकार के कार्य में दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था करेगा। इस हेतु कम से कम दो अध्यापकों की तैनाती की जायेगी, जिसमें एक के द्वारा विद्यालय से प्राप्त अंकों की अंकना ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 प्रपत्र में की जायेगी तथा दूसरे के द्वारा ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 में अंकित किये गये अंकों की अंकना की जाँच की जायेगी। छात्र संख्या अधिक होने की स्थिति में तद्नुसार दो के गुणांकों में अतिरिक्त दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है। यदि विद्यालय में इस हेतु पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था न हो तो खण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निकटवर्ती विद्यालयों से अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस कार्य में लगाये गये अध्यापकों की सूचना परिषद् को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

iv. परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 प्रपत्रों में अंकों की अंकना कर ओ0एम0आर0/सी0सी0 16 प्रपत्रों को विषयवार सीलबंद लिफाफों में बंद कर निकटतम संकलन/उप संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तांक से संबंधित प्रारूप/प्रपत्र पृथक से विद्यालयवार एक लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

v. इसके साथ ही विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा के ओ0एम0आर0/ सी0सी0 16 आदि के सीलबंद लिफाफे में उप संकलन/संकलन केन्द्र के माध्यम से परिषद् कार्यलय को उपलब्ध करायेंगे।

6. उप संकलन केन्द्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार सामग्री प्राप्त कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य संकलन केन्द्र सामग्री प्राप्ति के तत्काल बाद सामग्री परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संकलन **केन्द्रों की सूची संलग्न–2 पर अंकित है**।

7. परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय अथवा मूल्यांकन केन्द्र अथवा किसी अन्य स्तर से की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा एवं परिषद् की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित/तों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा यदि वे उक्तवत प्रक्रिया से प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें परीक्षा देने का विकल्प भी प्रदान किया जायेगा।

i. उक्त हेतु परीक्षार्थी को ऐसा अनुरोध उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अंदर अपने संस्थाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। स्थितियां सामान्य होने पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी।

ii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा का विकल्प देने की स्थिति में परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मानते हुये परीक्षार्थी को अंक प्रदान कर परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंकना परीक्षार्थी के अंक/प्रमाणपत्र में की जायेगी भले ही परीक्षार्थी के अंक पूर्व में उक्त प्रक्रिया में प्रदान किये गये अंको से कम या अधिक क्यों न हों। अर्थात यदि परीक्षार्थी के पूर्व में उक्त प्रक्रिया के आधार पर प्रदत्त अंक अधिक थे किन्तु परीक्षा में प्राप्त अंक कम होते हैं तो कम अंक की अंकना अथवा यदि परीक्षार्थी के पूर्व में उक्त प्रक्रिया के आधार पर प्रदत्त अंक कम थे किन्तु परीक्षा में प्राप्त अंक अधिक होते हैं तो अधिक अंक की अंकना अंक/प्रमाणपत्र में की जायेगी। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व में जारी अंक/प्रमाण पत्र परीक्षार्थी से वापस प्राप्त कर उसे निरस्त करते हुये, परीक्षार्थी को नया अंक/प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये परीक्षार्थी द्वारा अपने अनुरोध पत्र के साथ एक शपथपत्र भी परिषद् को देना होगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को सारे विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा अर्थात परीक्षा सारे विषयों के लिये आयोजित की जायेगी।

(ब) इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा 2021 : परीक्षाफल निर्धारण प्रक्रिया

1. इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल का निर्धारण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा।

i. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की नीति के अनुसार ही विगत वर्षों की भांति इण्टमीडिएट (कक्षा 12) के छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का होगा अर्थात परीक्षाफल 500 अंकों के आधार पर घोषित किया जायेगा।

ii. भाषा सहित जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंक की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) 100 अंको में से किया जायेगा।

iii. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों को 100 में से घटाकर अवशेष पूर्णांक में से किया जायेगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक यथावत् रहेंगे।

iv. छात्रों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) उनके विगत वर्षों के कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में प्राप्त अंकों, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं इस वर्ष की कक्षा 12 हेतु वर्ष भर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा संबंधित विषयध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार (Weightage) प्रदान किया जायेगा। इस हेतु 2021 की कक्षा 12 की परिषदीय परीक्षा में पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को निम्नवत अंक प्रदान करते हुये उनका परीक्षाफल तैयार किया जायेगा–

a. **50 प्रतिशत** अधिभार (Weightage) कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर दिया जायेगा, अर्थात संबंधित छात्र/छात्रा को अंक उसके द्वारा अपनी कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ : यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा अपनी कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में मिलाकर 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये है तो उसे संबंधित विषयों हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार 50 प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार प्रत्येक विषय में अंक प्रदान किये जायेंगे।

चूंकि छात्र/छात्रा के द्वारा इण्टर (कक्षा 12) परीक्षा में लिये गये विषय हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा में लिये गये विषयों से भिन्न होते हैं अतः इस प्रक्रिया में छात्र/छात्रा को उसके द्वारा इण्टर (कक्षा 12) परीक्षा में लिये गये समस्त पाँचों विषयों में के समान (हाईस्कूल परीक्षा अधिभार के अनुसार) अंक प्रदान किये जायेंगे। अंकों को 50 प्रतिशत अधिभार में परिवर्तित करने पर अवशेष 0.1 या उससे अधिक की गणना अगले निकटतम पूर्णांक में की जायेगी।

b. **40 प्रतिशत** अधिभार (Weightage) कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दिया जायेगा अर्थात संबंधित छात्र/छात्रा को अंक उसके द्वारा अपनी कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ : यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा अपनी कक्षा 11 की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किये गये हैं तो उसे संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार 40 प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार संबंधित विषय में छात्र/छात्रा को अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक विषय के लिये अंकों की गणना छात्र–छात्रा द्वारा संबंधित विषय की कक्षा 11 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी।

यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो और उसे कक्षोन्नति कक्षा 11 में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान की गयी हो तो उसे उसके द्वारा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उक्तवत अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक 40 प्रतिशत अधिभार में परिवर्तित करने पर अवशेष 0.1 या उससे अधिक की गणना अगले निकटतम पूर्णांक में की जायेगी।

C. दस (10) प्रतिशत अधिभार (Weightage) कक्षा 12 को प्रदान किया जायेगा। इस हेतु निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार अधिभार प्रदान किया जायेगा–

i. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को इस हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, यह प्रक्रिया परिषद स्तर पर ही संपादित की जायेगी।

A. Diwak

ii. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंकों की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में उक्तवत निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) को प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न मापदण्डों में से किसी भी मापदण्ड को आधार बनाया जा सकता है–

- इस वर्ष की कक्षा 12 में आयोजित की गयी मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड (जिस किसी परीक्षा में भी छात्र/छात्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा हो) परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जा सकता है।

अथवा

- इस वर्ष की कक्षा 12 में कक्षा शिक्षण के दौरान संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा किये गये आंकलन/मूल्यांकन कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन को आधार बनाया जा सकता है।

उक्त प्रक्रिया में मापदण्ड चयन में छात्र के अधिकतम हित को ध्यान में रखा जायेगा। छात्र/छात्रा के द्वारा उक्तवत प्रक्रिया में प्राप्त अंकों को संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार 10 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक 10 प्रतिशत अधिभार में परिवर्तित करने पर अवशेष 0.1 या उससे अधिक की गणना अगले निकटतम पूर्णांक में की जायेगी। इस प्रक्रिया/मापदण्ड से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे, ताकि यह अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सके।

vi. **क.** कृषि वर्ग में भाग एक (कक्षा 11) के परीक्षाफल का निर्माण कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर एवं कक्षा 11 के लिये कक्षा 12 हेतु उक्तवत बिन्दु 1 (iv) c में अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। कक्षा 10 एवं कक्षा 11 के लिये क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत अधिभार (Weightage) प्रदान करते हुये उक्तवत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जायेगा।

ख. कृषि वर्ग में भाग दो (कक्षा 12) के परीक्षाफल का निर्माण कक्षा 10 एवं 12 के सदर्भ में अन्य विषयों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। किन्तु कक्षा 11 के अंकों की गणना समस्त विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा अपनी कक्षा 11 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं तो उसे संबंधित विषयों हेतु निर्धारित अधिभार के अनुसार 40 प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार प्रत्येक विषय में अंक प्रदान किये जायेंगे। चूंकि छात्र/छात्रा के द्वारा इण्टर की कक्षा 12 परीक्षा में लिये गये विषय कक्षा 11 परीक्षा में लिये गये विषयों से भिन्न होते हैं अतः इस प्रक्रिया में छात्र/छात्रा को उसके द्वारा इण्टर (कक्षा 12) परीक्षा में लिये गये सभी विषयों में निर्धारित अधिभार के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।

A Diwakar

उक्तानुसार विषयवार **अधिभार (Weightage)** निम्नवत होगा–

क्र0 सं0	विषय विवरण	अधिकतम अंक	अधिभार (Weightage) - % व अंक		
			कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा	कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा	कक्षा 12 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य
1	जिन विषयों में 100 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
2	जिन विषयों में 80 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	80	50 % (40 अंक)	40 % (32 अंक)	10 % (08 अंक)
3	जिन विषयों में 70 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
4	जिन विषयों में 50 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)
5	जिन विषयों में 30 अंक सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित हैं	30	50 % (15 अंक)	40 % (12 अंक)	10 % (03 अंक)

इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) में विषयवार अधिभार (Weightage) का विवरण **संलग्नक–3** पर अंकित है।

2. व्यक्तिगत छात्रों के संबंध में भी उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। कक्षा 10 एवं कक्षा 11 हेतु निर्धारित अधिभार संस्थागत छात्रों की ही भांति प्रदान किया जायेगा किन्तु कक्षा 12 हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जायेगा–

   i. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को इस हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, यह प्रक्रिया परिषद स्तर पर ही संपादित की जायेगी।

   ii. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंकों की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में उक्तवत निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) को प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर विद्यालय के विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित अधिभार के अनुसार निर्धारित अंकों की ऑन/ऑफ लाइन, मौखिक परीक्षा आयोजित

A.Diwali

करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

3. इण्टरमीडियेट (कक्षा 12) परीक्षा में जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है उनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं माह मार्च–अप्रैल 2021 में संपादित की जा चुकी हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा की सूचना गत वर्षों की भांति परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0/सी0सी0–16 पर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी छात्र/छात्रा की प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की गयी हो तो उसके लिये उक्त अवधि में ऑन/ऑफ लाइन, लिखित/मौखिक रूप से सम्पादित किये जाने की अनुमति होगी। इस हेतु उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4. छात्रों के सही विश्वसनीय व वैध आंकलन/मूल्यांकन करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। विद्यालय का परीक्षा प्रभारी इस समिति का पदेन सचिव होगा। समस्त विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नामित किया जायेगा। इस परीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये वर्ष 2021 की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा मे पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को अंक प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विद्यालय स्तर पर एक पंजिका बनायी जायेगी, जिसमें समिति द्वारा इस संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं छात्र–छात्राओं को प्रदत्त अंकों की सुस्पष्ट अंकना की जायेगी।

i. प्रत्येक विद्यालय में, जहां से छात्र इस परीक्षा हेतु पंजीकृत हुये हों, निम्नवत एक परीक्षा मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी–

1, प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	: पदेन अध्यक्ष
2, समस्त विषयाध्यापक	: सदस्य
3. विद्यालय का परीक्षा प्रभारी	: सदस्य सचिव
4, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष/ वरिष्ठ शिक्षक	: पर्यवेक्षक ।

इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय के निकटतम स्थित राजकीय अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पारस्परिक रूप में एक–दूसरे विद्यालय में तैनाती नहीं की जायेगी, अर्थात जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय में पर्यवेक्षक की तैनाती से भिन्न विद्यालय से ही पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी।

ii. विद्यालय स्तर पर छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन एवं वास्तविक आंकलन/मूल्यांकन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्तवत गठित समिति का होगा। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी ताकि आंकलन/मूल्यांकन की वैधता एवं सार्थकता बनी रहे। समिति इस सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं अभिलेखों को तैयार करते हुये उन्हें सुरक्षित भी रखेगी।

iii. विद्यालय स्तरीय समिति सुनिश्चित करेगी कि विषयाध्यापक पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का सम्पादन करे, अध्यापक द्वारा किसी भी छात्र–छात्रा के साथ किसी भी प्रकार भेदभाव न किया

A.Diwakar

जाय। प्रत्येक छात्र–छात्रा की वास्तविक क्षमताओं के अनुसार सही, विश्वसनीय एवं सार्थक आकलन/मूल्यांकन किया जाय। विषयाध्यापक द्वारा छात्रों का आकलन/मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि कक्षा मे छात्रों की क्षमता के आधार पर उनकी पारस्परिक भिन्नता भी स्पष्ट रूप से परीक्षाफल में परिलक्षित हो अर्थात सामान्य, औसत एवं श्रेष्ठ छात्रों में अंतर स्पष्ट हो। समिति सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में अपनाये जाने वाली प्रणाली/प्रक्रिया सभी छात्रों के लिए एक समान रहे, इसमे पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार के संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो।

iv. विद्यालय स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समायावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अंकों की सुस्पष्ट अंकना दो प्रतियों में तैयार कर, प्रपत्र की एक प्रति अपने विद्यालय की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की परिषदीय परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) के केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगे। प्रपत्र की दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

v. समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को सही प्रकार से पूरित कर उपलब्ध करायेगी।

vi. परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय द्वारा की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित/तों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

vii. इस परीक्षा एवं प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक अनिवार्यतः विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। परिषद् द्वारा मांगे जाने अथवा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगे जाने पर अभिलेख उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा।

5. इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा 2021 हेतु जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में अधिसूचित किये गये थे वे समस्त परीक्षा केन्द्र उन समस्त विद्यालयों के लिये मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे जिनके वे परीक्षा केन्द्र थे। विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) के आधार पर केन्द्र में परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0/सी0सी0 16) पर संबंधित छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों की अंकना सावधानीपूर्वक की जायेगी।

i. उक्त कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का निम्नवत गठन किया जायेगा:–

A. Diwak

1. संबंधित केन्द्र का प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य		:पदेन उप नियंत्रक
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष / वरिष्ठ शिक्षक		:पर्यवेक्षक / सह नियंत्रक
3. विद्यालय का परीक्षा प्रभारी		:सदस्य सचिव

इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में निकटतम स्थित राजकीय अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय के छात्रों का यह विद्यालय परीक्षा केन्द्र न रहा हो। परीक्षा केन्द्र स्तरीय समिति में ऐसे किसी भी प्रधानाचार्य / शिक्षक को नामित न किया जाय, जिनके पाल्य उस परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में अध्ययनरत् हों।

ii. यह समिति विद्यालय से प्राप्त प्राप्तांकों एवं प्रपत्रों के विवरण का अवलोकन एवं परीक्षण करेगी। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर सम्बन्धित विद्यालय स्तर से इसका निराकरण करवाने के उपरांत अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 में करवायेगी। समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को पूरित करेगी।

iii. विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 पर अंकना करने हेतु संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक अपने विद्यालय से इस प्रकार के कार्य में दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था करेगा। इस हेतु कम से कम दो अध्यापकों की तैनाती की जायेगी, जिसमें एक के द्वारा विद्यालय से प्राप्त अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 प्रपत्र में की जायेगी तथा दूसरे के द्वारा ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 में अंकित किये गये अंकों की अंकना की जाँच की जायेगी। छात्र संख्या अधिक होने की स्थिति में तद्नुसार दो के गुणांकों में अतिरिक्त दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है। यदि विद्यालय में इस हेतु पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था न हो तो खण्ड / मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निकटवर्ती विद्यालयों से अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस कार्य में लगाये गये अध्यापकों की सूचना परिषद् को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

iv. परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) स्तर पर गठित समिति एक सप्ताह की अवधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 प्रपत्रों में अंकों की अंकना कर ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 प्रपत्रों को विषयवार सीलबंद लिफाफों में बंद कर निकटतम संकलन / उप संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तांक से संबंधित प्रारूप / प्रपत्र पृथक से विद्यालयवार एक लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

v. इसके साथ ही विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंतरिक मूल्यांकन / प्रयोगात्मक परीक्षा के ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16 आदि के सीलबंद लिफाफे में उप संकलन / संकलन केन्द्र के माध्यम से परिषद् कार्यलय को उपलब्ध करायेंगे।

6. उप संकलन केन्द्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार सामग्री प्राप्त कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य संकलन केन्द्र सामग्री प्राप्ति के तत्काल बाद सामग्री परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु उप संकलन एवं संकलन केन्द्रों की सूची संलग्नक : दो पर हैं।

A·Diwakr

7. परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय अथवा मूल्यांकन केन्द्र अथवा किसी अन्य स्तर से की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा एवं परिषद् की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा यदि वे उक्तवत प्रक्रिया से प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें परीक्षा देने का विकल्प भी प्रदान किया जायेगा।

    i. उक्त हेतु परीक्षार्थी को ऐसा अनुरोध उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अंदर अपने संस्थाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। स्थितियां सामान्य होने पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी।

    ii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा का विकल्प देने की स्थिति में परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मानते हुये परीक्षार्थी को अंक प्रदान कर परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंकना परीक्षार्थी के अंक/प्रमाणपत्र में की जायेगी भले ही परीक्षार्थी के अंक पूर्व में उक्त प्रक्रिया में प्रदान किये गये अंकों से कम या अधिक क्यों न हों। अर्थात यदि परीक्षार्थी के पूर्व में उक्त प्रक्रिया के आधार पर प्रदत्त अंक अधिक थे किन्तु परीक्षा में प्राप्त अंक कम होते हैं तो कम अंक की अंकना अथवा यदि परीक्षार्थी के पूर्व में प्रक्रिया के आधार पर प्रदत्त अंक कम थे किन्तु परीक्षा में प्राप्त अंक अधिक होते हैं तो अधिक अंक की अंकना अंक/प्रमाणपत्र में की जायेगी। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व में जारी अंक/प्रमाण पत्र परीक्षार्थी से वापस प्राप्त कर उसे निरस्त करते हुये, परीक्षार्थी को नया अंक/प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये परीक्षार्थी द्वारा अपने अनुरोध पत्र के साथ एक शपथपत्र भी परिषद् को देना होगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को सारे विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा अर्थात परीक्षा सारे विषयों के लिये आयोजित की जायेगी।

(स) अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एवं व्यवस्थाएं

1. उक्त प्रक्रिया एवं परीक्षाफल निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्नवत तीन चरणों में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पूर्ण की जायेगी–

क्र0सं0	चरण	अवधि	कार्य	उत्तरदायित्व
1	प्रथम	07 दिन	विद्यालयों को दिशा–निर्देश एवं विभिन्न प्रपत्र/सामग्री उपलब्ध कराना	उ0वि0शि0 परिषद, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी
		10 दिन	पंजीकृत छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन एवं निर्धारित प्रपत्रों पर उनके प्राप्तांकों का अंकना कर सूचना परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र	विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, संबंधित विषयाध्यापक एवं

A.Diwakar

			को उपलब्ध कराना।	खण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी
2	द्वितीय	07 दिन	विद्यालयों से प्राप्त अंकों की ओ0एम0आर0 शीट पर अंकना एवं उनकी जाँच कर समस्त सूचना उप संकलन/संकलन केन्द्र को उपलब्ध कराना।	परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचाय, संकलन केन्द्र के प्रभारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी
		05 दिन	परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र से प्राप्त समस्त प्रपत्रों को संकलित कर एक साथ परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना।	संकलन केन्द्र के प्रभारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी
3	तृतीय	28 दिन	परीक्षाफल तैयार कर उसकी घोषणा करना	उ0वि0शि0 परिषद

2. जिस विद्यालय में हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) दोनों स्तरों का मूल्यांकन होना है वहां पर एक ही समिति कार्य करेगी। हाईस्कूल (कक्षा 10) के संदर्भ में हाईस्कूल के विषयाध्यापक एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के संबंध में इण्टर की विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे।
3. उप संकलन केन्द्र परिषद् निर्धारित कार्यक्रमानुसार सामग्री प्राप्त कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य संकलन केन्द्र सामग्री प्राप्ति के तत्काल बाद सामग्री परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु उप संकलन एवं संकलन केन्द्रों की सूची संलग्नक : दो पर हैं।
4. चूंकि हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टर (कक्षा 12) परीक्षा 2021 परम्परागत रूप से आयोजित नहीं की गयी हैं अतः उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। अतः इस हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षाएं आयोजित नही होने के कारण हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा 2021 की राज्य स्तर पर श्रेष्ठता (मेरिट) सूची जारी नहीं की जायेगी।
6. परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय अथवा मूल्यांकन केन्द्र अथवा किसी अन्य स्तर से की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा एवं परिषद् की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित/तों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. मूल्यांकन कार्य की अवधि के दौरान विद्यालयों के निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु निदेशक (मा0शि0) के स्तर से अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। इस हेतु माध्यमिक, प्रारंभिक एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, एस0सी0ई0आर0टी0, मण्डल, जिला, डायट एवं विकासखण्ड में कार्यरत अधिकारियों को नामित किया जायेगा।
8. विद्यालयों एवं परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्रों में उक्त प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव/रोकथाम संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परिषद् द्वारा निर्धारित परीक्षा सामग्री/प्रपत्रों के ढुलान हेतु वाहनों का आवागमन उत्तर प्रदेश में स्थित मार्गों से भी होगा। साथ ही उक्त प्रक्रिया के उपरांत सामग्री विद्यालयों/संकलन केन्द्रों/जनपदों द्वारा

A.Diwak

परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी। अतः परीक्षा सामग्री के ढुलान हेतु विद्यालय/परीक्षा केन्द्र, उप संकलन/संकलन केन्द्र एवं परिषद् द्वारा अनुबन्धित वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु पास जारी करने की कार्यवाही संबन्धित जिले के जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

10. उक्त कार्य/प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले संस्थाध्यक्षों, अध्यापकों एवं कार्मिकों के पहचान पत्र को कोविड कर्फ्यू की स्थिति में पास के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। जिन अध्यापकों/कार्मिकों की तैनाती की जायेगी उनके नियुक्ति आदेश पत्र/विद्यालय से मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पास के रूप में मान्य होंगे। अध्यापकों/कार्मिकों को तैनाती आदेश के साथ कोई वैध पहचान पत्र भी रखना होगा।

11. वर्तमान स्थिति में उक्त कार्य अपरिहार्य स्थिति के रूप में माना जायेगा। अतः जिन अध्यापकों/कार्मिकों की तैनाती उक्त कार्य हेतु की जायेगी, उन्हें संबंधित संस्थाध्यक्ष द्वारा अनिवार्यतः विद्यालय से संबंधित विद्यालय/परीक्षा केन्द्र हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा।

12. यदि मुख्य शिक्षा अधिकारियों या परीक्षा कार्य में लगाये गये अध्यापकों एवं कार्मिकों को प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम संबंधी किसी कार्यक्रम में लगाया गया हो तो यह आवश्यक होगा कि उन्हें उक्त कार्य के सम्पादन हेतु उन कार्य दायित्वों से मुक्त किया जाना होगा।

13. यदि किसी विद्यालय/परीक्षा केन्द्र को प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम संबंधी किसी कार्य हेतु अधिग्रहीत किया गया होगा तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय को प्रशासन से मूल्यांकन कार्य हेतु मुक्त करने की कार्यवाही हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जायेगा अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा इस हेतु निकटतम किसी दूसरे विद्यालय (जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था एवं सुरक्षा उपलब्ध हो) को अधिग्रहीत किया जायेगा और इस परिवर्तित विद्यालय में पूर्व में प्रस्तावित विद्यालय के कार्मिकों की तैनाती उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु की जायेगी, अर्थात विद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।

14. वर्तमान स्थिति में उक्त समस्त कार्य अर्थात मूल्यांकन, परीक्षा एवं परीक्षाफल निर्माण कार्य अपरिहार्य स्थिति के रूप में माना जायेगा। अतः जिन कार्मिकों की तैनाती इन कार्यों के सम्पादन हेतु की जायेगी, उन्हें अनिवार्यतः आवंटित कार्यों का सम्पादन निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत पूर्ण करना होगा।

15. उक्तवत् कार्य सम्पादित किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टर (कक्षा 12) परीक्षा, केन्द्र व्यय एवं मूल्यांकन मद आदि में स्वीकृत धनराशि से की जायेगी। इस संबंध में विभिन्न स्तरों (विद्यालय/परीक्षा मूल्यांकन केन्द्र, संकलन केन्द्र) पर मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय की दरों का निर्धारण परिषद् द्वारा किया जायेगा एवं तद्नुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। संकलन स्तरीय व्यय का भुगतान पूर्ववत किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर व्यय होने वाली धनराशि के भुगतान हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण परिषद् द्वारा किया जायेगा। यात्रा एवं ढुलान आदि व्यय गत वर्षों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

16. उक्त प्रक्रिया के सुचारू एवं समयबद्ध सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा यथा समय आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

17. उक्त कार्य के सुचारू एवं समयबद्ध सम्पादन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक समन्वय स्थापित करते हुये अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

A.D/wal

18. उक्तवत कार्यक्रम के एक बार लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थागत कठिनाईयां उत्पन्न होंगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

A Diwaker

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–1

हाईस्कूल (कक्षा–10) परिषदीय परीक्षा 2021

विषयवार अधिभार (Weightage) के अनुसार सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक विवरण

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) - % व (अंक)		अभ्युक्ति
	कोड	नाम		कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा	कक्षा 10 की मासिक / अर्द्ध वार्षिक / प्री बोर्ड परीक्षा / अन्य	
1	001	Hindi	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
2	004	Urdu	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
3	005	Punjabi	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
4	006	Bengali	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
5	021	English	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
6	028	Sanskrit	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
7	031	Mathematics	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)	
8	032	Home Science	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)	
9	033	Science	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)	
10	034	Social Science	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)	
11	035	Hindustani Music Vocal	25	75 % (19 अंक)	25 % (06 अंक)	
12	036	Hindustani Music Melodic Instru.	25	75 % (19 अंक)	25 % (06 अंक)	
13	037	Hindustani Music Percu.Instru.	25	75 % (19 अंक)	25 % (06 अंक)	
14	041	Painting	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
15	042	Elements of Business	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
16	043	Elements of Book-Keeping & Accountancy	100	75 % (75 अंक)	25 % (25 अंक)	
17	044	Type Writing English or Hindi	25	75 % (19 अंक)	25 % (06 अंक)	
18	045	Home Science	80	75 % (60 अंक)	25 % (20 अंक)	
19	046	Information Technology	40	75 % (30 अंक)	25 % (10 अंक)	
20	050	Agriculture	60	75 % (45 अंक)	25 % (15 अंक)	
21	062	Multi Skilling	30	75 % (22 अंक)	25 % (08 अंक)	

A. Diwakar

संलग्नक –2

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल
परीक्षा सामग्री के संकलन हेतु उप/मुख्य संकलन केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0	जनपद	जनपद कोड	मुख्य संकलन केन्द्र/उप संकलन केन्द्र	
1	हरिद्वार	101	1. रा0इ0का0 रुड़की, हरिद्वार	**मुख्य संकलन**
2			2. रा0क0इ0का0 ज्वालापुर, हरिद्वार	उप संकलन
3	देहरादून	102	1. रा0बा0इ0का0 राजपुर रोड़, देहरादून	**मुख्य संकलन**
4			2. मॉ0रा0इ0का0, डाकपत्थर	उप संकलन
5			3. श्री भरत मंदिर इ0का0, ऋषिकेश	उप संकलन
6	उत्तरकाशी	103	1. रा0आ0कीर्ति इ0का0 उत्तरकाशी	**मुख्य संकलन**
7			2. बी0एस0आर0रा0इ0का0 बड़कोट, उत्तरकाशी	उप संकलन
8			3. आदर्श वि0रा0इ0का0, पुरोला	उप संकलन
9	टिहरी	104	1. रा0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी	**मुख्य संकलन**
10			2. रा0 प्रताप इ0का0 बौराड़ी, नई टिहरी	उप संकलन
11			3. रा0इ0का0 घुमेटीधार, टिहरी	उप संकलन
12			4. रा0इ0का0 कीर्तिनगर, टिहरी	उप संकलन
13			5. रा0इ0का0 लम्बगॉंव, टिहरी	उप संकलन
14	पौड़ी	105	1. रा0आ0इ0का0 कोटद्वार, पौड़ी	**मुख्य संकलन**
15			2. रा0इ0का0, पौड़ी नगर	उप संकलन
16			3. रा0इ0का0 बैजरों, पौड़ी	उप संकलन
17	चमोली	106	1. बी0सी0डी0एस0एन0रा0इ0का0 कर्णप्रयाग, चमोली	**मुख्य संकलन**
18			2. रा0इ0का0 गोपेश्वर, चमोली	उप संकलन
19			3. रा0आ0इ0का0 थराली, चमोली	उप संकलन

A. Diwak

20	रुद्रप्रयाग	107	1. स्व0एच0डी0बी0रा0इ0का0, अगस्त्यमुनि	**मुख्य संकलन**
21			2. रा0आ0इ0का0, रूद्रप्रयाग	उप संकलन
22	पिथौरागढ़	108	1. एस0डी0एस0रा0इ0का0, पिथौरागढ़	**मुख्य संकलन**
23			2. रा0आ0इ0का0, डीडीहाट	उप संकलन
24			3. रा0इ0का0 बेरीनाग, पिथौरागढ़	उप संकलन
25	चम्पावत	109	1. रा0इ0का0, लोहाघाट	**मुख्य संकलन**
26			2. ला0र0भ0स0रा0बा0इ0का0, टनकपुर	उप संकलन
27	अल्मोड़ा	110	1. रा0इ0का0, अल्मोड़ा	**मुख्य संकलन**
28			2. रा0आ0क0इ0का0 रानीखेत, अल्मोड़ा	उप संकलन
29			3. रा0इ0का0 भिकियासैण, अल्मोड़ा	उप संकलन
30			4. श0चू0रा0इ0का0 खुमाड़ सल्ट, अल्मोड़ा	उप संकलन
31	बागेश्वर	111	1. वि0मो0जो0स्मा0रा0इ0का0, बागेश्वर	**मुख्य संकलन**
32	नैनीताल	112	1. श0मे0रा0अ0रा0इ0का0, नैनीताल	**मुख्य संकलन**
33			2. रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	उप संकलन
34	ऊधमसिंह नगर	113	1. आ0ना0झा0रा0इ0का0, रुद्रपुर	**मुख्य संकलन**
35			2. थारू रा0इ0का0, खटीमा	उप संकलन
36			3. रा0क0इ0का0, काशीपुर	उप संकलन

A Diwak

संलग्नक—3

इण्टर (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2021

विषयवार अधिभार (Weightage) के अनुसार सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों का विवरण

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) % व (अंक)		
	कोड	नाम		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा	कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा	कक्षा 12 की मासिक / अर्द्ध वार्षिक / प्री बोर्ड परीक्षा / अन्य
1	101	हिन्दी	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
2	102	हिन्दी (कृषि वर्ग के लिये)	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
3	103	अंग्रेजी	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
4	105	संस्कृत	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
5	106	उर्दू	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
6	107	पंजाबी	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
7	110	इतिहास	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
8	112	अर्थशास्त्र	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
9	121	राजनीति विज्ञान	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)

A. Diwak

10	124	शिक्षाशास्त्र	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
11	125	तर्कशास्त्र	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
12	128	गणित	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
13	133	बिजनेस स्टडीस	100	50 % (50 अंक)	40 % (40 अंक)	10 % (10 अंक)
14	140	कृषि अर्थशास्त्र	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)
15	111	भूगोल	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
16	113	गृह विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
17	122	मनोविज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
18	126	सैन्य विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) % व (अंक)		
	कोड	नाम		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा	कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा	कक्षा 12 की मासिक / अर्द्ध वार्षिक / प्री बोर्ड परीक्षा / अन्य
19	127	भूगर्भ विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)

20	129	भौतिक विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
21	130	रसायन विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
22	131	जीव विज्ञान	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
23	144	कम्प्यूटर	70	50 % (35 अंक)	40 % (28 अंक)	10 % (07 अंक)
24	123	समाजशास्त्र	80	50 % (40 अंक)	40 % (32 अंक)	10 % (08 अंक)
25	132	एकाउण्टेंसी	80	50 % (40 अंक)	40 % (32 अंक)	10 % (08 अंक)
26	114	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	30	50 % (15 अंक)	40 % (12 अंक)	10 % (03 अंक)
27	115	हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन)	30	50 % (15 अंक)	40 % (12 अंक)	10 % (03 अंक)
28	116	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)	30	50 % (15 अंक)	40 % (12 अंक)	10 % (03 अंक)
29	120	ड्राइंग एवं पेंटिंग	30	50 % (15 अंक)	40 % (12 अंक)	10 % (03 अंक)
30	139	कृषि शस्य विज्ञान	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)
31	141	कृषि जन्तु विज्ञान	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)
32	142	कृषि पशुपालन एव पशु चिकित्सा विज्ञान	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)
33	143	कृषि रसायन विज्ञान	50	50 % (25 अंक)	40 % (20 अंक)	10 % (05 अंक)

A. Diwal

इण्टर (कक्षा 11) कृषि वर्ग परीक्षा 2021
विषयवार अधिभार के अनुसार सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) - % व (अंक)	
	कोड	नाम		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा	कक्षा 11 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य
1	138	कृषि गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी	50	75 % (37 अंक)	25 % (13 अंक)
2	134	कृषि शस्य विज्ञान	50	75 % (37 अंक)	25 % (13 अंक)
3	135	कृषि वनस्पति विज्ञान	50	75 % (37 अंक)	25 % (13 अंक)
4	136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान	50	75 % (37 अंक)	25 % (13 अंक)
5	137	कृषि अभियंत्रण	50	75 % (37 अंक)	25 % (13 अंक)